प्रपत्र–VI

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू–अर्जन शाखा, साहेबगंज
समाहर्त्ता या समुचित सरकार
प्रारम्भिक अधिसूचना
(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

संख्या–डी0एल0ए0 साहेबगंज 25 /2018–19/ 431 /भू0अ0, दिनांक– 12-06-2018

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम**–हाजीपुर भिट्ठा, **थाना**–साहेबगंज(मु0), **थाना सं0**–18, **अंचल**–साहेबगंज, जिला–साहेबगंज में अडॉनी पॉवर (झारखण्ड) लिमिटेड, गोड्डा के 2X800 मेगावाट तापीय विधुत परियोजना अन्तर्गत जलाशय निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित है। इसलिए Atlas Management Consultancy Services Private Limited (AMCS) द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1) (ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम**–हाजीपुर भिट्ठा, **थाना**–साहेबगंज(मु0), **थाना सं0**–18, **अंचल**–साहेबगंज, जिला–साहेबगंज में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **102.82** एकड़ यानि – X – हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है –

क्र0 सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखण्ड संख्या)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1821	बाड़ी–2	कृषि	27.70	नीतिप्रकाश राय, पिता–शारदा प्रसाद राय, सा0–सकरागढ़	1578, 1579, 1573, 1577, 1580, 1581, 1567, 1569, 1570, 1557, 1556, 1587, 1550, 1551, 1552, 1553, 1476, 1418, 1419, 1420	1851, 1852, 1844	1880, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824	1844, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826
2		1822	बाड़ी–2	कृषि	14.14	श्री प्रकाश राय, पिता–शारदा प्रसाद राय, सा0–सकरागढ़				
3		1823	बाड़ी–2	कृषि	12.10	ओम प्रकाश राय, पिता–शारदा प्रसाद राय, सा0–सकरागढ़				
4		1824	बाड़ी–2	कृषि	11.04	श्री निवास राय वो श्रीकान्त राय, पिता–हरिनारायण राय, न्यू रोड़				
5		1825	बाड़ी–2	कृषि	17.00	श्रीकान्त राय, पिता–हरिनारायण राय, न्यू रोड़				
6		1826	बाड़ी–2	कृषि	20.84	श्री निवास राय वो श्रीकान्त राय, पिता–हरिनारायण राय, न्यू रोड़				
				कुल रकवा–	**102.82**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या–30/2013), की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता –सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों ..... को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक ..../भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक ....

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, साहेबगंज को अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के पीछे उपर्युक्त ज्ञापांक का प्रकाशन जिला गजट में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 431 /भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक 12-06-2018

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं दो दैनिक समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन की सूचना सीधे जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को भेजने की कृपा की जाय।

12/6/18

उपायुक्त,
साहेबगंज।